M.P.Power Generating Company Limited

(Govt. of M.P. Undertaking)
CIN: U40109MP2001SGC014882 Web: mppgcl.mp.gov.in
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (O&M) 2X45 MW RABS HPS
MPPGCL, BARGINAGAR DISTT. JABALPUR (M.P.) 482056
(E-mail seoandmbargi@gmail.com)

क्र.अय(संचा–संधा)/बरगी/अप्रेंटिस/1203 बरगीनगर दिनांक 05.12.2022

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत आई.टी.आई. अप्रेंटिस के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन

मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जो म.प्र. के राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी है जिसका मुख्यालय रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर, जबलपुर में स्थित हैं, के कार्यलय अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) म.प्र.पॉ.ज.न.कं.लि.बरगी नगर जिला–जबलपुर द्वारा म.प्र. के मूल निवासी अभ्यार्थी के लिए जिन्होने आई.टी.आई (एन.सी.व्ही.टी./एस.सी.व्ही.टी.) ट्रेडः– फिटर, वेल्डर, मशीनिष्ट अन्तर्गत कुल 8 रिक्तियों के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित है।

नोटः–

1. आई.टी.आई.उत्तीर्ण उम्मीदवार के आवेदन शासन की बेवसाईट www.apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से दिनांक 28.12.2022 की मध्यरात्री (11:59) तक ऑनलाईन पद्धति से स्वीकार किये जावेंगे।
2. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधी एक वर्ष तक रहेगी, जिसमे नियमानुसार स्टाईफंड देय होगा।
3. आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यार्थीयों की न्यूनतम आयु दिनांक 01.11.2022 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिये एवं एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी/ई.डब्लू.एस/दिव्यांग को आयु में छूट शिक्षुता नियम(संशोधन)एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा।
4. उक्त रिक्तियों की संख्या परिवर्तनशील है तथा कंपनी को रिक्तियॉ भरने या ना भरने का अधिकार रहेगा।
5. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी/ई.डब्लू.एस वर्ग हेतु आरक्षण शिक्षुता नियम(संशोधित)एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा।
6. उम्मीदवार विज्ञापन का विस्तृत विवरण बेवसाईट http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html पर देख सकते है अथवा कार्यलय अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) म.प्र.पॉ.ज.न.कं.लि.बरगी नगर जिला–जबलपुर में कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते है।

"बिजली की बचत करें"

अधि.अभियंता(संचा/संधा)
म.प्र.पॉ.ज.न.कं.लि.बरगी नगर, जबलपुर

M.P.Power Generating Company Limited

(Govt. of M.P. Undertaking)
CIN: U40109MP2001SGC014882 Web: mppgcl.mp.gov.in
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (O&M) 2X45 MW RABS HPS
MPPGCL, BARGINAGAR DISTT. JABALPUR (M.P.) 482056
(E-mail seoandmbargi@gmail.com)

क्र.अय(संचा–संधा) / बरगी / अप्रेंटिस / 1204 बरगीनगर दिनांक 05/12/2022

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत आई.टी.आई अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन का विस्तृत संशोधित विज्ञापन

मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, 2X45 मेगावाट रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर, जबलपुर द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यार्थिओं के लिए जिन्होनें आई.टी.आई. (एन.सी.वी.टी. / एस.सी.वी.टी.) उत्तीर्ण की हो, को अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर में ट्रेड अप्रेंटिस(एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित है। 2X45 मेगावाट रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर, जबलपुर में ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) हेतु कुल रिक्तियॉ 08 है जिनका ट्रेडवार निम्नानुसार है–

आई.टी.आई अप्रेंटिस

क्र.	व्यवसाय	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा	अ.जा	इ.डब्लु.एस	दिव्यांग	कुल योग
1	उपकरण यांत्रिकी	1	1	1				3
2	विद्युतकार	1						1
3	वेल्डर	1	1	1	1			4
	कुल	3	2	2	1			8

नोटः–

I. उक्त रिक्तियाँ केवल म.प्र के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए है। ऑफलाईन प्रक्रिया के लिये आवेदन पत्र को निर्धारित प्रपत्र में भरकर कार्यालय में जमा करें या डॉक द्वारा दिये गये पते पर भेजें एवं ऑनलाईन प्रक्रिया के लिये संलग्न प्रपत्र–I के अनुसार अप्लाई करें। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28.12.2022 है।

II. विभिन्न वर्गो का आरक्षण, म.प्र शासन के नियमानुसार किया जावेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय म.प्र के निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्तें–

1. शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता–शासन नियमानुसार संबंधित विषय मेंः–

i. आई.टी.आई अप्रेंटिस– शासकीय / अशासकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से, (एस.सी.व्ही.टी / एन.सी.व्ही.टी) आई.टी.आई उत्तीर्ण।

2. **पात्रताः–**

(अ) उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्था में इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीकृत न हुआ हो। तथा किसी भी संस्था में एक वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो।

(ब) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा / व्यवसाय के कुल प्राप्तांको सी.जी.पी.ए.द्व की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।

3. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पॉ.जं.कं.लि द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नही होगी।
4. ऑन–लाइन आवेदन पत्र में अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

5. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कंम्पनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क आधार पर आवास सुविधा प्रदान की जावेगी।
6. आवेदक को भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवश्यक दिशानिर्देश हेतु आवेदन समय–समय पर अपना ई–मेल आई.डी. तथा कंपनी की वेबसाईट http://mppgcl.mp.gov.in भी देखते रहें।
7. वरीयता प्राप्त आवेदकों का अपना आमंत्रण ऑफर लेटर अप्रेंटिस पोर्टल http://apprenticeshipindia.in पर उनके अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल पर भेजा जावेगा, एवं किसी भी तरह का पत्राचार उनके ई–मेल आई. डी पर ही किया जावेगा।
   अतः आवेदकों से अनुरोध हैं कि वे अपना प्रोफाइल लगातार देखते रहें तथा अपना ई–मेल आई. डी आवेदन करने से पहले बना लें जो कम से कम एक साल के लिये वैध हो।
8. अ.जा/अ.ज.जा/ओ.बी.सी./ इ.डव्लु.एस/विकलांग के लिये आरक्षण अप्रेंटिसशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।
9. उचित कारण मिलने पर किसी भी प्रशिक्षु का चयन रदद् करने का अधिकार म.प्र.पा.जं.कं.लि बरगी नगर अपने पास सुरक्षित रखती है।
10. आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक होगा। जबलपुर जिले के रहवासियों का प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
11. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा की दृश्टि से दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
12. शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति, 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध करायें जाना होगा।
13. आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी कम्पनी की बेवसाईट http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html पर उपलब्ध हैं।

14. आरक्षण एवं आयु में छूटः–

I. चयन प्रक्रिया में अनु.जाति/अ.ज.जा/अ.पि.वर्ग/ई.डब्लू.एस तथा दिव्यांग आरक्षण नियम (संशोधित) एवं राज्य शासन के नियमानुसार देय होगा। यदि अनु.जाति/अ.ज.जा.संवर्ग में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते है तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जावेगा। तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गो से भरा जा सकेगा।

II. रिक्तियो की संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्नवर्गो/ श्रेंणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुर्नरीक्षित हो सकती है।

III. सभी वर्गो में उम्मीदवारों की न्यूनतम् आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की संगणना तिथि 01.11.2022 के आधार पर की जावेगी।

IV. सामान्य वर्गो में उम्मीदवारों की अधिकतम् आयु 27 वर्ष होगी तथा अनु.जाति/अ.ज.जाति/अ.पि.वर्ग(नॉन–क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों की अधिकतम् आयु सीमा में 05 वर्ष एवं दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट रहेगी।

V. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी।

15. चयन प्रक्रियाः–

i. अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छंटाई की जावेगी। तत्पश्चात, म.प्र.पा.जं.कं.लि बरगी नगर द्वारा प्राप्त हुए आवेदन में आई.टी.आई अप्रेंटिसशिप हेतु आई.टी.आई में प्राप्त सी.जी.पी.ए (सेमेस्टर के औसत) अंको के प्रतिशत् के आधार पर योग्यता क्रम मेरिट लिस्ट में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।

ii. उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है।

iii. निर्धारित समयावधि में ज्वाईन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

16.स्टाइपेण्ड (प्रशिक्षुवृत्ति):–

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाइपेण्ड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है :–

क्रं.	शैक्षणिक योग्यता	स्टाइपेण्ड (रू. में)
01	आई.टी.आई (NCVT/SCVT) (एक वर्षीय कोर्स)	7700/– प्रतिमाह
02	आई.टी.आई (NCVT/SCVT) (दो वर्षीय कोर्स)	8050/– प्रतिमाह

नोटः– इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नहीं होगी।

17.चिकित्सा/स्वास्थ मानकः–

i. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है के आधार पर ही किया जावेगा।

ii. दिव्यांग उम्मीदवार को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के अनुसार दिया जावेगा।

18.आवेदन कैसे करेंः–

आई.टी.आई उम्मीदवार शासन की वेबसाईट www.apprenticeship.gov.in के माध्यम से दिनाँक 28.12.2022 की मध्य रात्री समय 11:59 बजे तक ऑनलाईन पद्वित से भरा जा सकता है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेंगे।

आई.टी.आई उम्मीदवार हेतु आवेदन प्रक्रिया– आवेदन से पूर्व उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप पोर्टल http://apprenticeshipindia.in पर पंजीकरण अनिवार्य है यदि उम्मीदवार ने पंजीकरण नहीं करवाया है तो निम्न प्रक्रिया अनुसार पंजीकरण कर सकते है।

i. सर्वप्रथम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के वेबसाईट www.apprenticeship.gov.in पर Toolbar में Apprentices- Candidate Registration पर click करें।

ii. आपको www.apprenticeship.gov.in /register/candidate/link दिखाई देगी उस पर click करने से नया पेज खुल जायेगा।

iii. Toolbar में Registration बटन पर click करें।"Register as Candidate" विकल्प का चयन करें।

iv. व्यक्तिगत विवरण (Personal Details) section में आधार नम्बर, वर्ग (General/OBC/SC/ST) नाम, पिता का नाम जन्मजाति तथा लिंग की प्रविष्ट करें।

v. Contact Details section में अपना पूरा पता, मोबाईल नम्बर एवं e-mail ID व पासवर्ड प्रविष्ट करें। अप्रेंन्टिसशिप पार्ष्टल पर लॉगिन करने के लिऐ इसी e-mail ID एवं पासवर्ड का उपयोग करें।

vi. Qualification section में अपनी तकनीकी (Technical) व शैक्षणिक (Academic) योग्यता की जानकारी प्रविष्ट कर संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें।

vii. Prefrence Section में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये आप अपने Sector व्यवसाय (Trade) की प्रथमिकता का चयन करें।

viii. चौथे चरण में (Fourth Stage) में अपना फोटो, जन्मतिथि प्रमाण पत्र व स्केन्ड हस्ताक्षर अपलोड करें व Continue पर Click करें।

ix. अंतिम पेज पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी का प्रिव्यु प्राप्त होगा। Edit बटन पर Click करके जानकारी में परिवर्तन किया जा सकता है सभी जानकारी सही होने पर confirm बटन पर Click करके पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण करें।

x. Candidate Registration की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त आपके द्वार Contact Details में दिये गये e-mail ID एवं पासवर्ड से अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते है।

xi. उम्मीदवार पंजीकरण के उपरांत "Establishment search" में जाकर रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर का विकल्प चुन कर संस्थान के विज्ञापन में दर्शाई गई रिक्तियों में योग्यता अनुसार आवेदन करें।

xii. ऑफलाईन प्रक्रिया– आवेदन द्वारा आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर स्वयं उपस्थित होकर या डॉक के माध्यम से कार्यालय अधीक्षण अभियंता (संचा–संधा) रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर जबलपुर (म.प्र.) के पते पर जमा/प्रेषित करना होगा।

19.महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तेः–

I. उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित करलें कि, शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये आवश्यक योग्यता रखते है तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ सही है।

II. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञान होता है कि, उम्मीदवार निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करते है और हमारी अवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते है अथवा उन्होने कोई भी जानकारी छिपाई है, तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

III. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरें चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी परिस्थिति में बदली नहीं जावेगी।

IV. यदि उम्मीदवार अपने ऑनलाईन आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो "Edit My Profile" में जाकर परिवर्तन कर सकता है।

V. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निपटारा शिक्षुता अधिनियम 1961 (यथा संशोधन) के प्रावधानो के अधार पर किया जावेगा ।

VI. उम्मीदवार चयन हेतु म.प्र.पॉ.जं.कं.लि रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर जबलपुर द्वार बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिये बाध्य होंगे।

VII. आवेदन कर्ता को कोरोना से बचाव के दोनो टीके लगे होने का प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

VIII. शिक्षुता अवधि में उम्मीदवारों को 13 दिवस् का आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।

IX. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतीपूर्ती नियम 1923 लागू होगा।

X. म.प्र.पॉ.जं.कं.लि रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर जबलपुर को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया का रद्द करने /सीमित करने /बढ़ाने का अधिकार होगा।

XI. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जावेगी।

XII. उम्मीदवार ध्यान रखें कि शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 22 (1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.पॉ.जं.कं.लि रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर जबलपुर किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस सम्बंध में कोई विचार किया जावेगा।

XIII. शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडीका 2 (1) एवं (2) के अनुसार शिक्षुओं को प्रशिक्षणपूर्ण करने के उपरांत कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद उन्हे राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र प्रदान किया जावेगा।

अधीक्षण अभियंता (संचा–संधा)
म.प्र.पॉ.जं.कं.लि बरगी नगर